देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या ....805..... /भू अ० दिनांक : ...3/11/17

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम—**बाराटांड, थाना—देवघर, थाना सं०—362, अंचलः— देवघर, जिला—देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **देवघर—मधुपुर पथ उन्नयन परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम—**बाराटांड, थाना—देवघर, थाना सं०—362,अंचल—देवघर**, **जिला—देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **2.37 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है—

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	9	211	रैयती	बाडी–2	0.03	वलारूष मरांडी वो जोहन मरांडी पे0 स्व0 फांसिस मरांडी वो मगर मरांडी पे0 स्व0 रसीक मरांडी वो सरजू मरांडी वो महा मरांडी पे0 स्व0 बुधन मरांडी । सा० देह।	दाग नं0 622, 189, 612	मौजा बसवरिया एवं रोशन	उपर सरपत्ता एवं धनहेत	बजरमरूवा
2	9	218	रैयती	बाड़ी–2	0.09	तथैव				
3	28	189	रैयती	बाडी–2	0.12	मोहन राय पे0 स्व0 निरंजन राय वो जगनारायण राय वो सत्यनारायण राय पे0 स्व0 हिरामन राय वो गिरजा राय पे0 स्व0 निरंजन राय। सा० देह।				
4	28	183	रैयती	बाडी–2	0.07	तथैव				
5	28	192	रैयती	बाड़ी–2	0.05	तथैव				
6	28	194	रैयती	बाडी–2	0.14	तथैव				
7	29	187	रैयती	बाड़ी–2	0.07	तीरू राय वल्द कारू राय। सा० देह।				
8	33	564	रैयती	बाडी–2	0.09	ठाकुर महतो पे0 स्व0 दुखन महतो वो बाली पंडित पे0 स्व0 तेजू महतो वो लेदो पंडित वो प्रभु पंडित वो तेतर पंडित पे0 स्व0 हरि पंडित वो नुनधन पंडित पे0 स्व0 सुकन पंडित। सा० देह।				
9	38/क	220	रैयती	बाडी–2	0.20	लोथो हांसदा पे0 स्व0 गोविन्द हांसदा। सा० देह।				
10	39	180	रैयती	बाड़ी–2	0.07	जंगल राय पे0 विपन राय। सा० देह।				
11	29	191	रैयती	बाडी–2	0.05	तथैव				
12	29	204	रैयती	धानी–2	0.055	तथैव				
13	45	188	रैयती	बाडी–2	0.03	शिवा राय वो योगेन्द्र राय माता स्व0 खीखा देव्या वो लक्ष्मण राय पे0 स्व0 विपत राय। सा० देह।				
14	45	208	रैयती	बाडी–2	0.07	तथैव				
15	45	209	रैयती	बाडी–2	0.15	तथैव				
16	45	219	रैयती	बाडी–2	0.06	तथैव				

03-11-2017

17	47	182	रैयती	बाड़ी–2	0.06	मनुराय वल्द नेमा राय। सा० देह।				
18	47	193	रैयती	बाड़ी–2	0.07	तथैव				
19	65	613	रैयती	बाड़ी–2	0.305	लगनु मियां वो सुदीन मियां माता स्व0 चिन्ती बीबी वो इसलाम मियां वो तकबूल मियां वो मकबूल मियां पे0 स्व0 गोदो मियां वो सफीक मियां वो रफीक मियां पे0 स्व0 कोल्ही मियां वो एसरूदीन मियां वो समसूल अंसारी वो मजीद अंसारी पे0 स्व0 चरकु मियां वो झकसु मियां माता स्व0 हेमीया बीबी। सा० देह।				
20	69	573	रैयती	बाड़ी–2	0.22	मनोहर पंडित पिता स्व0 हुरो पंडित। सा० देह।				
21	70	575	रैयती	बाड़ी–2	0.06	रोजनी बीबी पे0 स्व0 हनीफ मियां वो नजाम अंसारी वो सलाउदीन अंसारी वो सबीर अंसारी पे0 जुबराती मियां वो इब्राहीम अंसारी वो सहुर अंसारी पे0 नवाजी मियां वो समसेर मियां वो मुख्तार मियां पे0 सोबराती मियां। सा० देह।				
22	70	576	रैयती	बाड़ी–2	0.07	तथैव				
23	70	574	रैयती	बाड़ी–2	0.10	तथैव				
24	33	568	रैयती	बाड़ी–2	0.04	मुरलीधर महतो वो त्रिपुरारी महतो पे0 चान्दो महतो वो चिहती देव्या पति लुटन महतो वो लोकनाथ पंडित पे0 स्व0 नीरो पंडित वो संतु महतो पे0 डोमन महतो वो बीरबल महतो पे0 डीलो महतो । सा० धनहेत।				
25	33	563	रैयती	बाड़ी–2	0.10	तथैव				
		कुल रकवा–			2.37					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी देवघर 28/11/17 — अपर समाहर्त्ता देवघर 03-11-2017 — समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर। 3/11/17

ज्ञापांक ...805.../ भू अ०, देवघर, दिनांक 3/11/17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी देवघर

अपर समाहर्त्ता देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।